राजस्थान के मंत्री-विधायकों सहित अन्य नेताओं को लगाया गुजरात में पर्यवेक्षक

22 विधानसभा क्षेत्रों का सर्वे कर रिपोर्ट सौंपेंगे, उस आधार पर होगा उम्मीदवारों का चयन

जयपुर, (का.प्र.)। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राजस्थान के 13 मंत्री और 10 विधायकों को पर्यवेक्षक लगाया है। कुल 37 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, जिनमें से 23 पर्यवेक्षक राजस्थान से चुने गए हैं। राजस्थान वैसे भी पड़ोसी राज्य के होने के अलावा पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रभारी भी रहे थे। इस बार भी राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं। यही कारण है कि राजस्थान के लोगों को गुजरात मे जिम्मेदारी दी गई है।

अभी राजस्थान के नेताओं 22 विधानसभा क्षेत्रों में लगाया गया है, जिनमें 13 मंत्रियों और 10 विधायकों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इनके अलावा 2 बोर्ड-निगमों के चेयरमैन और दो पूर्व सांसदों को भी विधानसभावार पर्यवेक्षक चुना गया है। जिन मंत्रियों को गुजरात विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र पर्यवेक्षक लगाया गया है, उनमें कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, प्रमोद जैन भाया और रामलाल जाट जैसे नेता भी हैं। इनके अलावा विधायकों में राजकुमार

- **कुल 37 पर्यवेक्षकों में से 23 राजस्थान से चुने गए हैं**

शर्मा, पानाचंद मेघवाल, अमीन कागज़ी, पूर्व सांसद करण सिंह यादव और ताराचंद भगौरा भी मौजूद हैं।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से लगाए गए पर्यवेक्षक अपने अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्रों में जाकर दावेदारों की रायशुमारी करेंगे और मजबूत दावेदारों की सूची बनाकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। जिसके बाद उन संभावित नामों में से फाइनल प्रत्याशी का चयन किया जाएगा।

राजस्थान कांग्रेस के जिन 23 नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है, उनमे सुखराम बिश्नोई और गोपाल मीणा को अमरेली, डॉ बीडी कल्ला को आंणद, अमित चाचाण को खेड़ा, उदयलाल आंजना को मेहसाणा, सुरेश मोदी को गांधीनगर, अर्जुन बामणिया को छोटा उदयपुर, गोविंद राम मेघवाल को भरूच, रामलाल मीणा को बारडोली, राजकुमार शर्मा को सूरत, हाकम अली को अहमदाबाद पूर्व, अमीन कागज़ी, धर्मेंद्र राठौड़ को अहमदाबाद वेस्ट, शकुंतला रावत, अशोक बैरवा को सुरेंद्रनगर, साले मोहम्मद, इंद्राज गुर्जर को कच्छ, अशोक चांदना को बनासकांठा, रामलाल जाट को पाटन, प्रमोद जैन भाया, पानाचंद मेघवाल को राजकोट, राजेंद्र यादव को जामनगर, ताराचंद भगोरा को पंचमहल, महेंद्र जीत सिंह मालवीय को दाहोद तथा करण सिंह यादव, महेंद्र गहलोत को जूनागढ़ लगाया गया है।

राज्यपाल कलराज मिश्र को राजभवन में गुरुवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल ने अपनी पुस्तक 'राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम' एवं उसका अंग्रेजी अनुवाद 'दी फोक डांसेज ऑफ राजस्थान' की प्रथम प्रति भेंट की। इस अवसर पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक अरूण जोशी तथा निदेशक, जनसंपर्क के निजी सचिव रवि पारीक भी उपस्थित थे। मेघवाल ने बताया कि 'राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम' पुस्तक में राजस्थान के लोकनृत्यों, लोकगायन एवं लोकवादन की परम्परा के बारे में शोधपरक जानकारियां शामिल की गयी हैं।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाना और संशोधन कराना हुआ आसान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता गुरूवार को मीडिया से रूबरू हुए।

जयपुर, (का.सं.)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों को सुविधाजनक बनाया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा निर्वाचन पंजीकरण (संशोधन) नियम 2022 के तहत कुल 12 प्रपत्र में संशोधन किये गए हैं। संशोधित सभी प्रपत्र एक अगस्त 2022 से प्रभावी होंगे। एक अगस्त से ईआरओ नेट और इससे जुड़ी आईटी एप्लीकेशन नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी पोर्टल), वोटर हैल्पलाइन एप एवं गरुडा एप में नये आवेदन प्रपत्र और प्रक्रिया उपलब्ध होगी। वर्तमान में उपलब्ध सभी मतदाता पंजीकरण फार्म 31 जुलाई तक ही मान्य रहेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नए संशोधन के बाद अब निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए अर्हता एक जनवरी के स्थान पर वर्ष में 4 बार एक जनवरी, एक अप्रेल, एक जुलाई तथा एक अक्टूबर निर्धारित की गई है। आयोग द्वारा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए काम आने वाले मुख्य प्रपत्र 6, 7 एवं 8 में संशोधन किये गए हैं। संशोधित प्रपत्र-6 अब केवल नए मतदाताओं के

- **स्वैच्छिक रूप से आधार से जोड़ सकेंगे वोटर कार्ड**
- **सभी मतदान केन्द्रों पर 4 व 18 सितम्बर को विशेष शिविर होंगे आयोजित**

पंजीकरण के लिए कर दिया गया है तथा इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन के प्रावधान को हटाकर संशोधित प्रपत्र 8 में शामिल किया गया है। अनाथ व्यक्ति के प्रकरणों में कानूनी अभिभावक का विवरण अब रिश्तेदारों के विवरण के अंतर्गत दिए जा सकने का संशोधन भी इस प्रपत्र में किया गया है। जन्म और निवास के प्रमाण के लिए दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं ताकि प्रपत्रों का त्वरित निस्तारण हो सके। प्रवासी मतदाता के पंजीकरण के लिए आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म 6ए में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

गुप्ता ने बताया कि प्रपत्र-001 में प्रतिस्थापन ईपिक जारी करने के लिए आवेदन को समाप्त कर प्रपत्र-8 में इसका प्रावधान किया गया है। प्रपत्र-7 में मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर निवास स्थानांतरण के मामलों के लिए प्रपत्र-8ए को समाप्त कर प्रपत्र-8 में ही इसके लिए प्रावधान किया गया है। आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार संशोधित फॉर्म 8 में मतदाता के निवास स्थानातरण, वर्तमान निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में सुधार, प्रतिस्थापन ईपिक एवं दिव्यांगजन के रूप में चिन्हीकरण का प्रावधान किया गया है। गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने और त्रुटिरहित बनाने के लिए मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने के लिए एक नया फार्म 6-बी अधिसूचित किया गया है। नवीन प्रपत्र 6बी के माध्यम से मौजूदा मतदाताओं की आधार सूचना एकत्रित की जायेगी। जिसका उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण अथवा एक से अधिक बार उसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण की पहचान करना है ताकि भविष्य में मतदाताओं को बेहतर चुनावी सेवायें उपलब्ध कराई जा सकें।

आरपीएससी ने फेल किया तो नियुक्ति क्यों दी : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी की परीक्षा में फेल होने के बाद भी एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (डिप्टी डायरेक्टर) के पद पर नियुक्ति देने से जुडे मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सचिव आरपीएससी और डीजीपी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग सहित अन्य से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि आरपीएससी ने जब अभ्यर्थियों को फेल कर दिया था तो उनकी नियुक्ति कैसे हुई। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश रोहिताश सारस्वत की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी ने बताया कि आरपीएससी ने एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (डिप्टी डायरेक्टर) के 48 पदों की भर्ती के लिए विज्ञिप्त जारी की थी।

बजटीय घोषणा कर वाहवाही लूटी लेकिन जनता के लिए छलावा साबित हुई हैं : राठौड़

जयपुर। उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 के पृष्ठ संख्या 3 के बिन्दु संख्या 6(1) में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार रोजगार सुनिश्चित करने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान करके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की बजटीय घोषणा कर वाहवाही लूटी थी लेकिन आज यह घोषणा अन्य बजटीय घोषणाओं की भांति छलावा साबित हुई है।

राठौड़ ने कहा कि प्रदेश के लाखों युवाओं के सुनहरे भविष्य की गारंटी देने के वायदे से सरकार यू-टर्न ले रही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों में जिन पदों व मानदेय पर पर भर्तियां

- **'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों में जिन पदों व मानदेय पर पर भर्तियां निकाली थी, अब पदों व मानदेय को कम करके लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है'**

निकाली थी, अब पदों व मानदेय को कम करके लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। राठौड़ ने कहा कि पहले तो स्वायत्त शासन विभाग ने मई माह में 7 प्रकार के पदों वरिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, शहरी रोजगार सहायक, एम आई एस मैनेजर, मशीन विथ मैन व मल्टी टास्क वर्कर है, की भर्तियां निकाली थी जिसमें लाखों बेरोजगार युवाओं ने इसमें आवेदन किया था। तत्पश्चात् भर्ती पर पहले वित्त विभाग ने रोक लगाई और जब रोक हटाई तो, जो भर्ती पहले 7 तरह के पदों पर होनी थी उसमें अब वरिष्ठ तकनीकी सहायक का पद ही विलोपित कर दिया और विभिन्न पदों के मानदेय में भी 50 फीसदी तक कटौती की है।

राठौड़ ने कहा कि युवाओं को धोखा देना कांग्रेस का चरित्र रहा है। जिन युवाओं ने वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर आवेदन कर रखा है उनके साथ सरकार ने विश्वासघात किया है और साथ ही पूर्व में घोषित मानदेय को भी बेहद कम करके युवाओं को ठगा गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से जब रोजगार पाने वालों को अपनी आजीविका चलाने जितना भी मानदेय नहीं मिल पाये तो इस योजना का औचित्य ही क्या है ? राठौड ने कहा कि राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या 67 लाख है जिसमें से 23 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार है। सरकार की युवा विरोधी नीतियों का ही परिणाम है आज सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी की रिपोर्ट चीख-चीख कर कह रही है कि 29.8 फीसदी बेरोजगारी दर के साथ राजस्थान देश में बेरोजगारी के मामले में दूसरे पायदान पर खड़ा है। वहीं बेरोजगारी भत्ता देने की थोथी घोषणा करने वाली गहलोत सरकार में मात्र 53 हजार बेरोजगार युवा ही भत्ता ले रहे हैं क्योंकि सरकार ने 4 घंटे की सरकारी कार्यालय में चौकीदारी करने की मनमानी शर्तें थोप रखी है।

जहां-जहां विसंगतियों की घटाटोप है, वहां व्यंग्य की बिजली चमकती है : जनमेजय

जयपुर, (का.सं.)। विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरीशस के अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार आयोजित होने वाली व्यंग्य की कार्यशाला के विषय विशेषज्ञ की भूमिका निभाने वाले प्रेम जनमेजय ने उद्घाटन सत्र में व्यंग्य की अवधारणा पर अपनी बात कहते हुए कहा आज विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी व्यंग्य अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। सचिवालय के मंच पर पहली बार विमर्श और व्यंग्य पाठ को अन्तर्राष्ट्रीय जमीन मिलना इतिहास रचने जैसा है। इस इतिहास को रचने का श्रेय विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव, उपसचिव माधुरी रामधारी ,शिक्षा मंत्रालय, महात्मा गांधी संस्थान एवं कला संस्कृति मंत्रालय को जाता है।

- **राजस्थान सहित देश के प्रतिष्ठित व्यंग्यकारों की कृतियां मॉरीशस में भेंट**

व्यंग्य मानव के सभ्य होने का उदघोष है। पहले यह लोकोक्तियों और मुहावरों के रूप में सभ्य मानव जीवन का हिस्सा बना और बाद में साहित्य की दुनिया का। जहां- जहां विसंगतियों की घटाटोप कालिमा होती है वहां व्यंग्य की बिजली चमकती है।

शिक्षा तृतीयक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में प्रबंधक शिक्षा निरंजन बिगन ने कहा कि जैसे रात को चूहा काट जाता है पर पता अगले दिन चलता है व्यंग्य का काटा भी ऐसा होता है। व्यंग्य समाज के कान की मैल निकालता है। सचिवालय की उपसचिव माधुरी रामधारी ने स्वागत भाषण में कहा कि आज के समय मे व्यंग्य की समझ बहुत आवश्यक है। व्यंग्य हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसे समझना आवश्यक है। इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है। प्रसन्नता है कि व्यंग्य विशेषज्ञ प्रेम जनमेजय हमारे आमंत्रण पर आए हैं। भारतीय उच्चायोग में द्वितीय सचिव सुनीता पाहुजा ने कहा कि भारत में हिंदी व्यंग्य पर विमर्श के लिए प्रेम जनमेजय ने बहुत काम किया है। हिंदी व्यंग्य की सुदृढ परम्परा को उन्होंने आगे बढ़ाने का सार्थक काम किया है।

उद्घाटन सत्र में विशिष्ट वक्ताओं के वक्तव्यों के मध्य , मंच पर प्रेम जनमेजय की व्यंग्य रचना, हिंदी माथे की बिंदीश् नाटक श्सोते रहोश् और कविता श्वो गन्ध कहाँ हैश् के कुछ अंशो की , महात्मा गांधी संस्थान के बी.ए. हिंदी ऑनर्स प्रथम वर्ष, द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों ने नाट्य प्रस्तुति की।

उद्घाटन सत्र के उपरांत तीन सत्रों में प्रेम जनमेजय ने बी.ए. और एम.ए. के छात्रों को व्यंग्य के स्वरूप, व्यंग्य की परंपरा, व्यंग्य के मनोविज्ञान और व्यंग्य की भाषा पर चालीस चालीस मिनट के व्याख्यान दिए। छात्रों ने न केवल इन्हें सुना अपितु प्रश्न भी किए, एक दो नहीं हर सत्र में 5-6 प्रश्न किए गए।

मंत्री शांति धारीवाल सदस्य मनोनीत

जयपुर, (का.सं.)। चण्डीगढ़ में आयोजित जीएसटी काउसिंल की 47वीं बैठक में वस्तु एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (जी.एस.टी. ए.टी.) के गठन के संबंध में राज्यों द्वारा उठायी गयी विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) में राजस्थान के यूडीएच शांति धारीवाल को भी सदस्य मनोनीत किया गया है। मंत्रीयों के समूह के संयोजक उपमुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला हैं। मंत्री समूह के गठन का उद्देश्य देश में एक समान कर प्रणाली लागू करना और संघीय संतुलन को बनाये रखना है।

एपीओ डीएसपी संजीव सारस्वत के प्रकरण की विजिलेंस करेगी जांच

जयपुर, (का.सं.)। कार्यवाहक महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने बताया कि नूपुर शर्मा की हत्या के लिए उकसाने का बयान देने के मामले में मंगलवार रात आरोपी हिस्ट्रीशीटर सैयद सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी के दौरान वायरल वीडियो के मामले में दरगाह वृताधिकारी संदीप सारस्वत को राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा एपीओ कर प्रकरण की जांच विजिलेंस शाखा को सौंपी गई है।

मिश्रा ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य जुटाकर अभियोजन की सशक्त कार्यवाही की जाएगी।

वायरल हुए वीडियो के बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर विकास सांगवान ने बताया कि आरोपी नशा करने का आदी है। आरोपी पहले भी गिरफ्तारी के समय खुद को नुकसान पंहुचाने का प्रयास कर चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए उसको समझा-बुझाकर कस्टडी में लिया जा रहा था ताकि मौके परिस्थिति बिगड़ ना जाए। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया एवं पूछताछ की जा रही है।

रिलीव नहीं हुए तो एसडीआरएफ कमांडेंट के पद पर कार्य करते रहेंगे चौधरी

जयपुर, (का.सं.)। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जयपुर बेंच ने कहा है कि गत तीस जून को किए गए तबादले के तहत यदि आईपीएस पंकज चौधरी को रिलीव नहीं किया गया है तो उन्हें एसडीआरएफ कमांडेंट के पुराने पद पर ही कार्य करते रहने दिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने मामले में केन्द्र सरकार के साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब । तलब किया है। अधिकरण ने यह आदेश पंकज चौधरी की अपील पर दिए। अपील में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अधिकरण को बताया कि प्रार्थी को 7 जुलाई 2021 को एसडीआरएफ कमांडेंट के पद पर नियुक्ति दी गई थी। आईपीएस कैडर रूल्स में 28 जनवरी 2014 को किए संशोधन के तहत आईपीएस के एक पद पर कार्यकाल की न्यूनतम अवधि दो साल रहेगी। वहीं यदि इससे पहले उसका तबादला किया जाता है तो उसके लिए एक सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड विभाग की रिपोर्ट को देखने के बाद संबंधित अधिकारी का मत जानकर अपनी सिफारिश देगा और उसके आधार पर ही अधिकारी का तबादला किया जाएगा। जबकि अपीलार्थी के मामले में कार्मिक विभाग ने तबादला करने से पहले इस प्रावधान की पालना नहीं की। ऐसे में अपीलार्थी के तबादला आदेश रोक लगाई जाए।

एडवोकेट के मुंशी को परिवार सहित सुरक्षा दें : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मैसेज फॉरवर्ड करने के मामले में एडवोकेट के आरोपी मुंशी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने उसे परिवार सहित सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह पुलिस अनुसंधान में सहयोग करे। जस्टिस बीरेन्द्र कुमार ने यह आदेश विक्रम सिंह की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भडकाने का मैसेज सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करने का आरोप लगाते हुए मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जबकि यह मैसेज गलती से फॉरवर्ड को गया था और उसके तत्काल बाद याचिकाकर्ता ने माफी भी मांग ली थी। इसके बावजूद एक अन्य मुंशी ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी।

राजस्थान के सभी कार्यकर्ता 2023 में भाजपा की प्रचण्ड बहुमत के लिये संकल्पित : डॉ. पूनिया

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने भाजपा देहात उत्तर और दक्षिण की जिला कार्यसमिति बैठकों को संबोधित किया।

डॉ. पूनियां ने संबोधित करते हुए कहा कि, हम सभी कार्यकर्ताओं को बूथ,मंडल और पन्ना इकाइयों की मजबूती और केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं के तेजी से प्रचार-प्रसार के साथ मिशन 2023 के विजय संकल्प को पूरा करने में पूरी सक्रियता के साथ जुटे रहना है। डॉ. पूनिया ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ता इस बात के लिए संकल्पित हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में तीन-चौथाई बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बने और यह प्रचण्ड जीत हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार की जन-कल्याणकारी नीतियों को समर्पित करेंगे।

उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी सरकार की जन-कल्याणकारी नीतियों व पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2023 में भाजपा की प्रचण्ड बहुमत की सरकार बनेगी, साथ ही 2024 में प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत

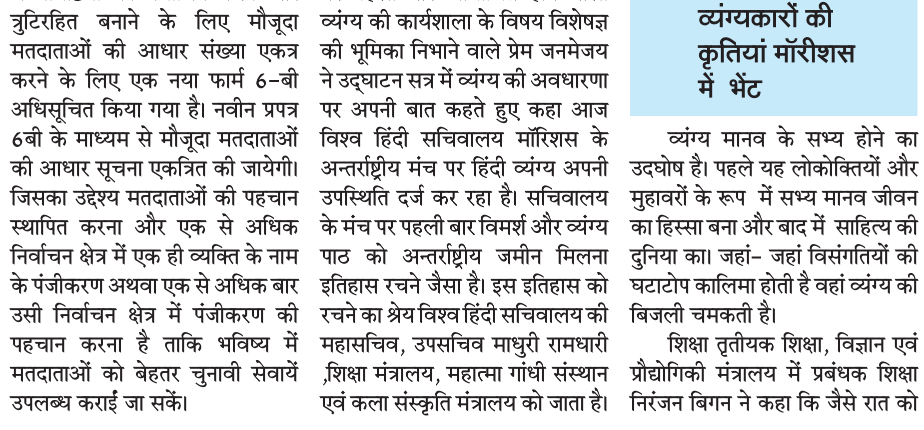

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने गुरूवार को जयपुर में भाजपा देहात उत्तर और दक्षिण की जिला कार्यसमिति बैठकों को संबोधित किया।

होगी। उन्होंने कहा कि, किसी संगठन की निरंतरता ही उसकी जीवंतता का सबसे बड़ा उदाहरण है। संगठन के सदस्यों के पराक्रम से ही सुखद परिणाम आते हैं। भाजपा आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, इसका प्रमुख कारण कार्यकर्ताओं का कड़ा परिश्रम है। जिला कार्यसमिति बैठकों में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेन्द्र सिंह, भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा, भाजपा देहात उत्तर जिलाध्यक्ष जितेन्द्र शर्मा, जयपुर देहात दक्षिण जिलाध्यक्ष रामानन्द गुर्जर, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, जिला प्रभारी शत्रुघ्न गौतम, फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत, पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हिंदी माध्यम में अध्ययन की उचित व्यवस्था करवाने का आग्रह किया

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा हिन्दी माध्यम के विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराया है।

डॉ. पूनियां ने गहलोत को पत्र में लिखा कि, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग द्वारा हिन्दी माध्यम के विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालयों में बदला जा रहा है। शिक्षा विभाग की इस योजना से हिन्दी माध्यम में पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है और वे दूसरे विद्यालयों में जाने को मजबूर हो रहे हैं। जयपुर सहित अन्य जिलों में कई ऐसे विद्यालय हैं, जिनमें नामांकन अच्छा है और उन विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालयों में रूपान्तरित करने से पहले सत्र में प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक महज 255 प्रवेश ही दिया जाना संभव है, अन्य हिन्दी माध्यम में अध्ययन के इच्छुक विद्यार्थी दूसरे स्कूलों में जाने को मजबूर हैं।

नम्बर मिलाइए 9587884433

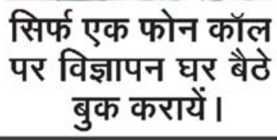

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-5312 जाहिर आम सूचना दिनांक-07.07.2022
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 84/304 (MIG-B), का आवंटन श्रीमती सरोज माथुर एवं श्री रविन्द्र नाथ माथुर को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3068 दिनांक 31.10.2003 को जारी किया गया था। श्री रविन्द्र नाथ माथुर की मृत्यु दिनांक 10.05.2014 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती सरोज माथुर पत्नी स्व. श्री रविन्द्र नाथ माथुर द्वारा आवासन मण्डल में अपना नाम संपूर्ण आवास पर मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त संपूर्ण आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्रीमती सरोज माथुर पत्नी स्व. श्री रविन्द्र नाथ माथुर का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त किशनपोल जोन- नगर निगम जयपुर हैरिटेज
क्र.- एफ-52/DC/KPZ/2022/746
सार्वजनिक सूचना दिनांक- 07.07.2022
श्री मोहम्मद अशफाक पुत्र छुट्टन खां निवासी 3880, नाहरवाड़ा, जगन्नाथ शाह का रास्ता, चौकड़ी रामचन्द्र जी, जयपुर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर श्रीमति अनवरी बेगम पत्नी छुट्टन खां पुत्री बंशीर खां द्वारा अपंजीकृत वसीयतनामा, अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती अनवरी बेगम की मृत्यु उपरान्त उक्त भूखण्ड का नगर निगम जयपुर हैरिटेज, किशनपोल जाने द्वारा श्री मोहम्मद अशफाक पुत्र छुट्टन खां के पक्ष में क्षेत्रफल 60.36 वर्गगज का पट्टा जारी किया जाना है। किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म कम्पनी को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार पट्टा जारी किया जावेगा।
उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर हैरिटेज

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-5313 जाहिर आम सूचना दिनांक-07.07.2022
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 84/306 (MIG-B), का आवंटन श्रीमती सरोज माथुर एवं श्री रविन्द्र नाथ माथुर को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3069 दिनांक 31.10.2003 को जारी किया गया था। श्री रविन्द्र नाथ माथुर की मृत्यु दिनांक 10.05.2014 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती सरोज माथुर पत्नी स्व. श्री रविन्द्र नाथ माथुर द्वारा आवासन मण्डल में अपना नाम संपूर्ण आवास पर मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त संपूर्ण आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्रीमती सरोज माथुर पत्नी स्व. श्री रविन्द्र नाथ माथुर का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

आम सूचना
सर्व साधारण को मेरी मुवक्किला की ओर से सूचित किया जाता है कि प्लॉट नम्बर 183, नेमीसागर कॉलोनी, क्वींस रोड, जयपुर में स्थित है जिसका संशोधित क्षेत्रफल 388.88 वर्गगज है का मूल पट्टा तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति के द्वारा जारी किया हुआ है, उक्त प्लॉट से सम्बन्धित एक वाद में राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण जयपुर द्वारा दिनांक 12.01.2012 का निर्णय मेरी मुवक्किला श्रीमती मधु चान्दवाड पत्नी श्री प्रभाचंद चान्दवाड के हक में पारित हो चुका है। अतः उक्त प्लॉट संख्या 183 पर मेरी मुवक्किला का पूर्ण एकाधिकार है यदि कोई अन्य व्यक्ति, संस्था उक्त प्लॉट की खरीद फरोख्त करता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
सम्पर्क सूत्र, मो. 9828439190

क्रमांक-59/2022 दिनांक-7.7.2022
आम सूचना श्रीराम लाल पुत्र श्री रामदेव ने भूखण्ड सं. 103, एरिया 122.22 वर्गगज समिति की योजना श्याम सिटी ग्राम तितरिया तह. चाकसू जि. जयपुर के मूल कागजात गुम हो जाने पर डुप्लीकेट कागजात प्राप्त करने हेतु समिति में आवेदन किया है। जिसकी गुमशुदगी की सूचना दिनांक 7.7.2022 के क्रमांक संख्या 118 थाना महेश नगर जयपुर (दक्षिण) में दर्ज करा दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो 7 दिवस में समिति कार्यालय में सम्पर्क करें अन्यथा वाद मियाद गुजर जाने पश्चात प्रार्थी को डुप्लीकेट कागजात जारी कर दिये जायेंगे। सूचित रहे। मंत्री
राम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर

कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर
क्र.- एफ-13( )उपा.आयो-द्वि./ननिज/2022/666
सार्वजनिक सूचना दिनांक- 20.06.2022
भूखण्ड सं.66, बर्न विहार, झोटवाडा (करतारपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि.) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती दीपाली पत्नी श्री तपन कुमार को क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), रजि. पट्टा मय साईट प्लान की फोटोप्रति, मूल आवंटी द्वारा दिनांक 27.09.2003 को जरिए रजि. मुख्त्यारनामा आम द्वारा नूर मोहम्मद पुत्र श्री अब्दुल रहमान के पक्ष में मुख्त्यार किया गया। मुख्त्यारकर्ता द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 24.06.2004 को मो. अनवर एवं श्रीमती शाहना खानम को बेचान किया गया। मो. अनवर एवं श्रीमती शाहना खानम द्वारा दिनांक 02.05.2007 को श्री अजीज खान एवं श्रीमती शमीम बानो के पक्ष में बचान किया। शमीम बानों का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, रजि. हकत्याग पत्र की फोटोप्रति, एवं अन्य चैन दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के आधार पर उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण चाहा है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई मूल दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार श्री अजीज खान पुत्र स्व. श्री इस्माईल खान के पक्ष में कुल क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जाना है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड पट्टा बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथी से 07 कार्यदिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, आयोजना- द्वितीय) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित समय अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार पत्रावली नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड पट्टा की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त (आयो. द्वि.) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 3783/22
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी-नाम रमाकान्त शर्मा पुत्र स्व. रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राह्मण विवाद स्थान 85, हनुमान ट्यूबवेल कम्पनी एयरपोर्ट के सामने, सांगानेर जयपुर हाल निवासी-दुकान नं. 8-9, हनुमान ट्यूबवेल कम्पनी, स्टेशन रोड, पोलोविक्टी नियर महारानी पैलेस, जयपुर
मृतक रामस्वरूप शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 6.8.22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम रामस्वरूप शर्मा पुत्र छोटू राम मिस्त्री जाति.... निवासी 85, हनुमान ट्यूबवेल कम्पनी एयरपोर्ट के सामने, सांगानेर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रिेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 06 माह 08 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 05 माह 07 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थी ने मृतक रामस्वरूप शर्मा के प्रा.पत्र में वर्णित पालीसी की राशि बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सैंशन न्यायालय जयपुर महानगर-प्रथम

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1075 दिनांक-07.07.2022
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 124/22 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 72.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री महेश पाल पुत्र श्री हीरालाल पाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2302 दिनांक 31.03.1992 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 28.09.1992 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 629 दिनांक 16.07.1993 के द्वारा श्री महेश पाल पुत्र श्री हीरालाल पाल के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। श्री महेश पाल की मृत्यु दिनांक 08.07.2019 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री मनीष पाल पुत्र स्व. श्री महेश पाल ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्री मनीष पाल पुत्र स्व. श्री महेश पाल के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री मनीष पाल पुत्र स्व. श्री महेश पाल के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर